निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 75/2021
दायरा दिनांकः–12.11.2021
निर्णय दिनांकः–

उनवान

1. अमरलाल पुत्र मोतीलाल
2. गोपालाल पुत्र मोतीलाल
3. भैरूलाल पुत्र मोतीलाल जातियान मीना निवासीगण ग्राम कडैयाचोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. श्याललाल पुत्र अमरलाल
2. कुलदीप पुत्र रामलाल
3. भजन पुत्र श्यामलाल
4. लखन पुत्र श्यामलाल
5. ललित पुत्र श्यामलाल जातियान मीना निवासीगण ग्राम भूलोन मजरा खेडली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्से तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी
2. श्री दौलतराम मीना – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 खाता संख्या 8/7 की खसरा नम्बर 546 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा कृषि आराजीयात वाके माल भूलोन में अवस्थित है, जो कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात के लगवां अप्रार्थी कम 1 ता 5 की कृषि आराजियात अवस्थित है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजियात की मौके पर सीमाबंदी व पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण्ण एवं अप्रार्थी कम 1 ता 5 के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाओं को लेकर विवाद बनना रहता है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाबंदी व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर उन्नत कृषि भी नहीं कर पा रहे हैं तथा प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादग्रस्त आराजियात पर उसकी सीमाओं के चारों ओर पत्थर का कोट बनाना चाहते हैं। जिसके लिए अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण्ण से मना करते हैं तथा अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण्ण के कब्जे की उक्त विवादग्रस्त आराजियात को भी अपनी सीमा में बताते हैं। दिनांक 10.10.2020 को उक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाओं पर प्रार्थीगण्ण द्वारा पत्थर के कोट को बनाने का कार्य करवाया जा रहा था तोो अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण से नाराज हो गए तथा कहने लगे कि आप उक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाओं पर पत्थर का कोट नहीं बना सकते। इस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम 1 ता 5 से निवेदन किया कि उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण्ण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा अप्राार्थी कम 1 ता 5 को उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाओं पर पत्थर का कोट करने से प्रार्थीगण को रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण को धमकी देने लगे कि यदि प्रार्थीगण ने उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाओं पर पत्थर का कोट बनाने की कोशिश की तो वे प्राार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर कब्जा कर लेंगे तथा प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेंगे तथा अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 5 द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने की धमकी देकर उक्त आराजियात की सीमाओं परन पत्थर का कोट नहीं बनाने दिया। इस कारा प्रार्थीगण उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाबंदी कराकर पत्थरगढी कराने व अप्रार्थीगण को शाश्वतकाल के लिए अप्रार्थी कम 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ताकि अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजियात पर अवैधानिक रूप से कब्जा नहीं कर सके एवं न ही उक्त आराजियात की सीमाओं के संबंध में विवाद उत्पन्न कर सके, जो न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। यदि उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात की सीमाबंदी की जाकर पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई एवं उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात के संदर्भमें अप्रार्थीगण को शाश्वतकाल के लिए इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया कि अप्रार्थी कम 1 ता 5 प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तो उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के हाथ से निकल जाएगी। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति सर्वथा असंभव होगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 8 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम भूलोन नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 8 नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित आराजी के लगवा अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की आराजी है विवादित आराजी की मौके पर सीमाबन्दी व पत्थर गढी नही होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है प्रार्थी अपनी भूमि पर पत्थरों का कोट बना रहे थे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को पत्थरों का कोट नही बनाने दिया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें कि प्रार्थीगण को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नाला तथा सरकारी रास्ता की भूमियों को हडपना चाहता है तोड मरोड तथ्यों को छुपा कर अप्राथीगण के कब्जे को नही हटाया जा सकता। सरकारी जमीन जल स्त्रोत रास्ता की भूमियों को हडपने तथा पुलिस का गलत प्रयोग करने के लिए स्टे नही दिया जा सकता। सरकारी नाले पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा पुलिस लेजाकर अप्रार्थीगण के पशुचारा को हटवा दिया गया है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा नही कर रखा है प्रार्थीगण सरकारी भूमि को हडपने की नियत से दावा पेश किया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 8 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 546 के पूर्व की ओर सरकारी नाला है एवं भूमि मौके पर आंशिक पडत है खसरा नम्बर 546 के उत्तरी पूर्वी हिस्से के आशिंक भाग पर पडोसी खातेदार श्यामलाल वगै0 काबिज है पडौसी खातेदार द्वारा भूमि पर कोट पत्थर कर बना रखा है भूमि खातेदार अमरलाल वगै0 की भूमि 546 के उत्तरी पूर्वी भाग में कोट बनाने के लिए पत्थर पडे हुए है मौके पर खाली है खातेदारान द्वारा भूमि सुधार व नाले के पानी को खेत मे जाने से रोकने हेतु पत्थर कोट बनाना चाहता है। जिसे पडौसी खातेदार श्यामलाल वगै0 कोट बनाने से मना करते है। चुंकि उक्त भूमि में नाले का बरसात का पानी निकलता है जिससे खातेदार की भूमि 546 में नुकसान होता है जिससे उक्त खसरा नम्बर की फसल नष्ट हो जाती है। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 546 के खातेदार कृषक है तथा खातेदार कृषक की भूमि में अन्य व्यक्तियों को दखल अन्दाजी करने का अधिकार नही है उभय पक्षकारान नियमानुसार सीमाज्ञान करवा कर अपनी–अपनी भूमि पर भूमि सुधार करने हेतु स्वतंत्र है तथा खसरा नम्बर 546 में दखल अन्दाजी करने/क्षति पहुचने से रोंकने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 546 रकबा 2.11 बीघा पर प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त व खातेदारी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा